

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 914]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 31, 2017/चैत्र 10, 1939

No. 914] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 31, 2017/CHAITRA 10, 1939

श्रम और रोजगार मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2017

का.आ. 1026(अ).— केन्द्रीय सरकार, प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) अधिनियम, 2017 (2017 का 6) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा --

- (i) 1 अप्रैल, 2017 जिससे उक्त अधिनियम के प्रावधान, सिवाय धारा 3 की उप-धारा (5); तथा
- (ii) 1 जुलाई, 2017 जिससे उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (5),

प्रवृत्त होगें, ऐसी तारीख नियत करती है।

[फा. सं. एस-36012/03/2015-सा.सु.-I] मनीष कुमार गृप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2017

S.O. 1026(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Maternity Benefit (Amendment) Act, 2017 (6 of 2017), the Central Government hereby appoints—

- (i) the 1st day of April, 2017 as the date on which the provisions of the said Act, except sub-section (5) of section 3: and
- (ii) the 1st day of July, 2017, as the date on which sub-section (5) of section 3 of the said Act, shall come into force.

[F.No.S-36012//03/2015-SS-I] MANISH KUMAR GUPTA, Jt. Secy.

1833 GI/2017